[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या—21 एच०एल०ए०

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, हरियाणा राज्यार्थ,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 में, — 2023 के केन्द्रीय अधिनियम 46 की धारा 23 का संशोधन।

(i) उप—धारा (2) में, "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप—धारा (3) में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) अधिनियमित किया है, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) के तहत, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन साल से अनधिक अवधि के कारावास या पचास हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकती है। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(3) के तहत, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक साल से अनधिक अवधि के कारावास या दस हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है। यह देखा गया है कि कुछ अधिनियमों के तहत जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, जिसके तहत चेक बाउंस मामलों में शामिल राशि जुर्माने से बहुत अधिक हो सकती है, में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) और 23 (3) के तहत निर्धारित जुर्माने की अधिकतम सीमा के कारण जुर्माना लगाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना बढ़ाया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत जुर्माने की अधिकतम सीमा भी सजा के अनुरुप नहीं है, जो उपरोक्त प्रावधानों के तहत लगाई जा सकती है। इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) और 23(3) के तहत निर्धारित जुर्माने की सीमा को बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

एक विधान अर्थात्, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) और 23 (3) के तहत प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जा सकने वाले जुर्माने की सीमा को बढ़ाने और उससे जुड़े या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए आवश्यक है।

इसलिए, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 13 नवम्बर, 2024

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से उद्धरण

(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या पचास हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दंडादेश दे सकेगा। धारा 23:

(3) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दंडादेश दे सकेगा।

11409—H.V.S.—H.G.P., Pkl.